सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पराविं/वि.अ./कार्यमुक्त/कलक्टर/2011/ 421 जयपुर दिनांकः– 25/2/16

1. जिला कलक्टर, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद समस्त।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद समस्त।

परिपत्र

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि जिला स्तरीय अधिकारियों यथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विकास अधिकारियों को अपने स्तर से ही आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया जाता है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(1)एफडी(नियम)/2007 दिनांक 13.7.2015 द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में करने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश जारी किये हुये हैं जिनके अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में करने हेतु प्रशासनिक विभाग ही सक्षम है। राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई भी आदेश जारी किया जाना राज्य स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के एक प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा विकास अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने सम्बन्धी आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया है।

अतः राज्यादेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे यदि ऐसी कोई अत्यावश्यक परिस्थितियॉं उत्पन्न हो एवं किसी विकास अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाना आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की जावे ताकि राज्य स्तर से समुचित निर्णय लिया जाकर आदेश जारी किये जा सकें।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त